

वझिजिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना

प्रलिमिंस के लिये:

[वझिजिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह](#), सार्वजनिक-नजी भागीदारी

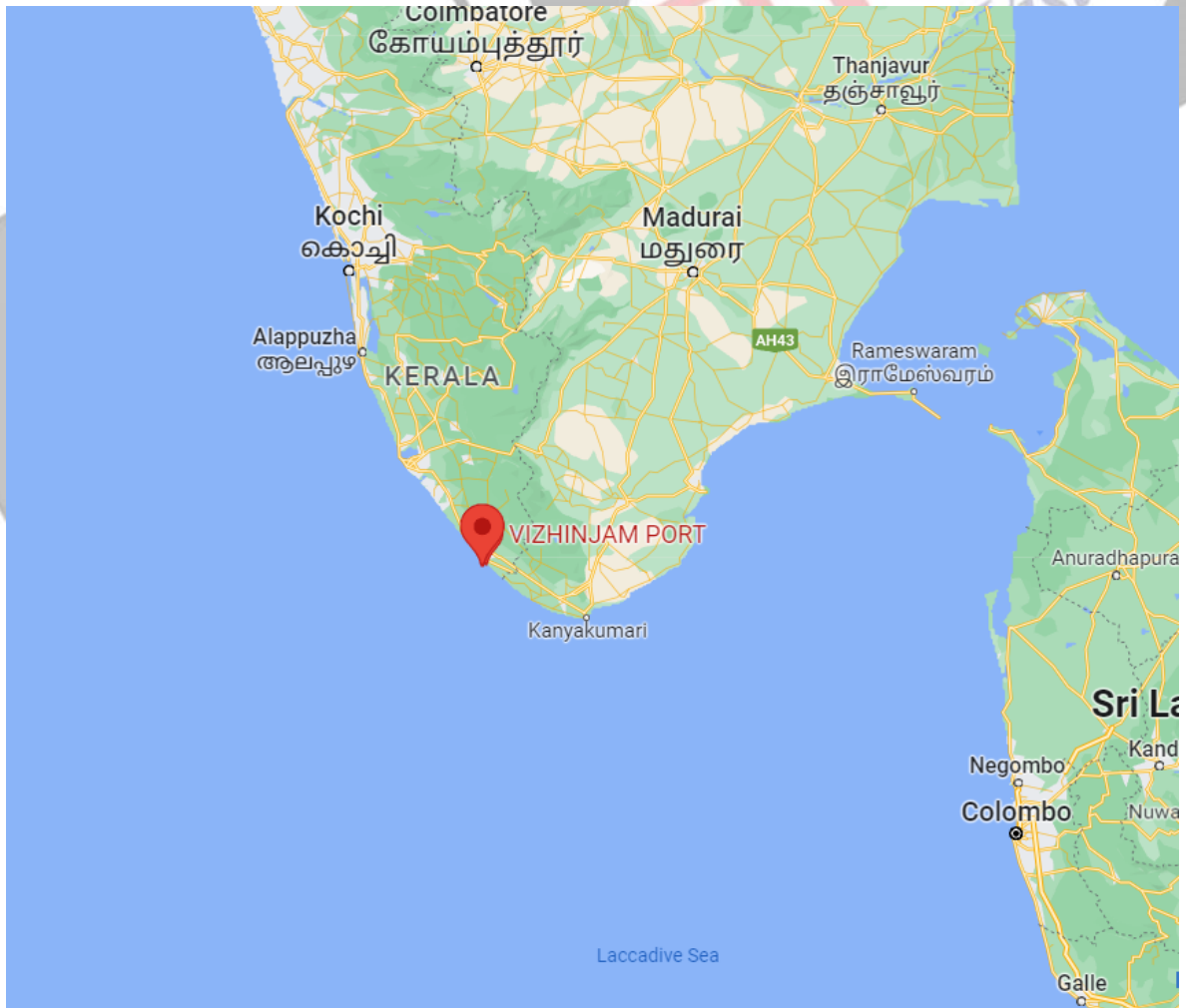
मेन्स के लिये:

भारत में विकास परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, वृद्धि, विकास तथा रोज़गार, पत्तन

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

वझिजिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना, भारत का पहला डीपवॉटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ने हाल ही में पहले मालवाहक जहाज़ के बंदरगाह पर पहुँचने से ध्यान आकर्षित किया।



नोट:

- ट्रांसशपिमेंट के लिये उपयोग किया जाने वाला गहरे पानी का बंदरगाह वह है जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले बड़े जहाजों को समायोजित कर सकता है।
- इसमें गहरे पानी की वाहिका तथा वस्तुओं को चढ़ाने व उतारने के लिये एक बड़ा निर्धारित क्षेत्र है। इस बंदरगाह पर एक जहाज से दूसरे जहाज तक माल के हस्तांतरण की भी सुविधा उपलब्ध है।

वज़िजिम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना:

- वज़िजिम इंटरनेशनल ट्रांसशपिमेंट डीपवाटर मल्टीपर्पज़ सीपोर्ट **केरल सरकार** द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है।
 - यह मुख्य रूप से कूज़ टर्मिनल, लक्विडि बल्क बर्थ तथा अतिरिक्त टर्मिनलों की सुविधाओं से युक्त है जिसमें ट्रांसशपिमेंट एवं गेटवे कंटेनर व्यवसाय के कार्य को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- **अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड** वर्तमान में सार्वजनिक-नज़ी भागीदारी के माध्यम से बंदरगाह का विकास कर रहा है, जिसमें डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन व हस्तांतरण (**Design, Build, Finance, Operate, and Transfer- DBFOT**) ढाँचे के अनुसार प्रबंधित घटक शामिल हैं।
- यह **केरल के तिरुवनंतपुरम** में स्थित है। भारत के दक्षिणी तट पर इसकी अवस्थिति अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों तक आसान पहुँच प्रदान करती है।
 - यह **कोलंबो, संगापुर और दुबई** जैसे वैश्विक ट्रांसशपिमेंट केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है, जिससे विदेशी गंतव्यों तक कंटेनर आवाजाही की लागत कम हो जाएगी।
- बंदरगाह की **प्राकृतिक गहराई 18 मीटर से अधिक है**, जिससे आगे 20 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है।
 - इस गहराई के चलते यह बंदरगाह पर्याप्त कार्गो क्षमता वाले बड़े जहाजों और मुख्य जहाजों को समायोजित करने में सक्षम है।
- **पहले चरण में प्रारंभिक क्षमता एक मिलियन (बीस फुट समतुल्य इकाई) TEU निर्धारित की गई है**, जिसमें 6.2 मिलियन TEU तक विस्तार की संभावना है।
- **परियोजना प्रगत:**
 - इस परियोजना से 5,000 प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर उत्पन्न होने और औद्योगिक गलियारे तथा कूज़ पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाने की उम्मीद है।
 - परियोजना लगभग **65.46 प्रतिशत** पूरी हो चुकी है। मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं, वरिष्ठ प्रदर्शनों और लॉजिस्टिकल संबंधी चुनौतियों जैसे कारकों के कारण पछिले कुछ वर्षों में इस परियोजना में देरी हुई है।
 - वर्तमान समय-सीमा दिसंबर 2024 तक पहले चरण के परिचालन के लिये तैयार होने की उम्मीद है।

भारत को डीपवाटर कंटेनर ट्रांसशपिमेंट पोर्ट की आवश्यकता:

- भारत में **12 प्रमुख बंदरगाह** हैं। हालाँकि देश में अत्यधिक बड़े मालवाहक जहाजों को संभालने के लिये **लैंडसाइड मेगा-पोर्ट और टर्मिनल अवसंरचना** का अभाव है।
 - इसलिये **भारत का लगभग 75 प्रतिशत ट्रांसशपिमेंट कार्गो** परिचालन भारत के बाहर के बंदरगाहों, मुख्य रूप से कोलंबो, संगापुर और क्लैंग बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का कुल ट्रांसशपिमेंट कार्गो **लगभग 4.6 मिलियन TEU** (TEU अर्थात् 20 फुट समतुल्य इकाइयों की कार्गो क्षमता) था, जिसमें से लगभग **4.2 मिलियन TEU** का भारत के बाहर संचालन किया गया था।
- एक बंदरगाह को ट्रांसशपिमेंट हब के रूप में विकसित करने से **विदेशी मुद्रा बचत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**, अन्य भारतीय बंदरगाहों पर **आर्थिक गतिविधि में वृद्धि**, संबंधित लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे का विकास, रोज़गार सृजन, बेहतर संचालन/लॉजिस्टिक्स दक्षता और राजस्व हस्तांतरण में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे।
 - इससे जहाज सेवाओं, रसद और बंकरिंग (जहाजों के लिये ईंधन की आपूर्ति) सहित संबंधित व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलता है।
- एक गहन जल कंटेनर ट्रांसशपिमेंट पोर्ट भारी संख्या में कंटेनर ट्रांसशपिमेंट को आकर्षित कर सकता है जिनका वर्तमान में परिचालन कोलंबो, संगापुर और दुबई की ओर हो रहा है।

भारत के प्रमुख पत्तन (बंदरगाह)



- भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के तहत परिभाषित केंद्र और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अनुसार भारत में पत्तनों/बंदरगाहों को महापत्तन/बड़े बंदरगाह (Major Ports) और गैर-महापत्तन/छोटे पत्तन/छोटे बंदरगाह (Minor Ports) के रूप में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् महापत्तनों का स्वामित्व एवं प्रबंधन का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के पास होता है जबकि गैर-महापत्तनों का स्वामित्व एवं प्रबंधन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के पास होता है।
- महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 भारत में महापत्तनों के नियमन, संचालन एवं नियोजन का प्रावधान करता है और इन बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। इसने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 का स्थान लिया है।
- कार्यात्मक महापत्तनों की वर्तमान संख्या 12 है। 13वाँ महापत्तन वधावन बंदरगाह, महाराष्ट्र (निर्माणाधीन) है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. हाल ही में नमिनलखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिये एक कृत्रिम अंतरदेशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? (2016)

- (a) आंध्र प्रदेश
- (b) छत्तीसगढ़
- (c) कर्नाटक
- (d) राजस्थान

उत्तर: (d)

धारणीय कृषि-खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहन

प्रलिमिंस के लिये:

धारणीय कृषि-खाद्य प्रणाली को प्रोत्साहन, 16वीं कृषि विज्ञान कॉन्ग्रेस (ASC), राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (NAAS)

मेन्स के लिये:

भारत में धारणीय कृषि-खाद्य प्रणालियों की आवश्यकता, भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग- दायरा तथा महत्त्व, अवस्थिति, अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएँ, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय ने कृषि-खाद्य प्रणाली में धारणीयता को प्रोत्साहित करने के लिये केरल के कोच्ची में 16वीं कृषि विज्ञान कॉन्ग्रेस (Agricultural Science Congress- ASC) का उद्घाटन किया है।

- राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (National Academy of Agricultural Sciences- NAAS) द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान कॉन्ग्रेस (ASC) ऐसी सफ़िराशिं प्रस्तुत करेगा जो कृषि क्षेत्र को अधिक संधारणीयता के मार्ग पर आगे बढ़ने में सुवधि प्रदान करेगी।

नोट:

- कृषि विज्ञान कॉन्ग्रेस (ASC):** यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और हतिधारकों को एकजुट करने तथा कृषि, धारणीयता व संबंधित विषयों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (NAAS):** यह भारत में कृषि विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित एक प्रतिष्ठित संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कृषि विज्ञानियों को कृषि तथा संबंधित विज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण मुद्दों एवं प्रगति पर विचार-विमर्श करने के लिये एक मंच प्रदान करना है।

धारणीय कृषि-खाद्य प्रणाली:

- परिचय:**
 - धारणीय कृषि-खाद्य प्रणाली पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा अपशिष्ट प्रबंधन के लिये एक समग्र दृष्टिकोण है।
 - इन प्रणालियों का लक्ष्य दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए वर्तमान खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम करना, आजीविका में सुधार करना और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।
 - वर्ष 2020 में वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणालियों का उत्सर्जन 16 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर था, जो वर्ष 2000 के बाद से 9% की वृद्धि को दर्शाता है।
- कृषि-खाद्य प्रणालियों में स्थिरता की आवश्यकता:**
 - भोजन की बढ़ती मांग:**
 - भोजन की बढ़ती वैश्विक मांग के कारण बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त और निरंतर खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु धारणीय कृषि-खाद्य प्रणालियों की आवश्यकता होती है।
 - पर्यावरणीय क्षरण:**
 - अस्थिर कृषि पद्धतियों के कारण व्यापक पर्यावरणीय क्षरण पर्यावरण के और अधिक नुकसान को कम करने के लिये धारणीय तरीकों में परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
 - जलवायु परिवर्तन चुनौतियाँ:**
 - जलवायु परिवर्तन कृषि के लिये एक बड़ा खतरा है। इन मुद्दों को संबोधित करने और जलवायु परिवर्तन में इस क्षेत्र की भूमिका को कम करने के लिये धारणीय प्रथाएँ महत्त्वपूर्ण हैं।
 - भारत में कई धारणीय और जलवायु प्रतिरोधी कृषि पद्धतियाँ हैं जो विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (Globally Important Agricultural Heritage Systems- GIAHS) से मान्यता प्राप्त हैं, जैसे पोककली चावल, केरल के समुद्र स्तर के नीचे कुट्टनाड कृषि प्रणाली आदि।

धारणीय कृषि खाद्य प्रणालियों को अपनाने का महत्त्व:

- **उन्नत तकनीकी हस्तक्षेप:**
 - वैज्ञानिक नवाचार और उन्नत तकनीकी हस्तक्षेप धारणीय कृषि पद्धतियों, कुशल संसाधन उपयोग में सहायता और नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिये महत्वपूर्ण हैं।
- **जीनोम एडिटिंग और आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ:**
 - पारंपरिक प्रजनन विधियों की सीमा को संबोधित करते हुए कृषि में तकनीकी सफलताओं के लिये जीनोम एडिटिंग और अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों को मुख्य उपकरण के रूप में उजागर किया गया है।
- **कार्बन-तटस्थ कृषि पद्धतियाँ:**
 - जलवायु प्रभावों को कम करने, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान के लिये कार्बन-तटस्थ कृषि प्रथाओं में परिवर्तन किया जा सकता है।

धारणीय कृषि खाद्य प्रणाली को अपनाने में समस्याएँ:

- **भोजन की बर्बादी और हानि:**
 - भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्पादन से लेकर उपभोग तक खाद्य आपूर्ति शृंखला के विभिन्न चरणों में बर्बाद हो जाता है। खाद्य प्रणाली की धारणीयता में सुधार के लिये भोजन की बर्बादी और हानि को समाप्त करना महत्त्वपूर्ण है।
- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभाव:**
 - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, निरिवनीकरण, जल प्रदूषण और मृदा क्षरण में कृषि का प्रमुख योगदान है। इन प्रभावों को कम करने के लिये संधारणीय प्रथाओं को लागू करना एक धारणीय खाद्य प्रणाली के लिये आवश्यक है।
- **संसाधन की कमी:**
 - जल, कृषि योग्य भूमि और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी धारणीय खाद्य उत्पादन के लिये एक चुनौती है। संसाधनों का कुशल उपयोग और धारणीय कृषि प्रथाओं को अपनाना महत्त्वपूर्ण है।
- **जैवविविधता ह्रास:**
 - आधुनिक कृषि प्रथाओं से प्रायः जैवविविधता का नुकसान होता है, पारस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती हैं और प्राकृतिक संतुलन बाधित होता है। धारणीय खाद्य प्रणाली के लिये जैवविविधता-अनुकूल कृषि दृष्टिकोण को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- **मोनोकल्चर और फसल विविधता:**
 - मोनोकल्चर अर्थात् एकल कृषि के प्रभुत्व से खाद्य आपूर्ति में कमी आ सकती है। फसल विविधता और धारणीय कृषि प्रणालियों को प्रोत्साहित करने से समृद्धताशीलता और संधारणीयता बढ़ सकती है।

कृषि खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहन हेतु सरकारी पहल:

- **भारतीय पहल:**
 - भारत ने एक समरूपति **कृषि अवसंरचना कोष** बनाया है जिसका उद्देश्य उद्यमियों को ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में फारम गेट तथा कृषि विपणन बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना है जो **फसल प्राप्ति के उपरांत खाद्य पदार्थों के परसंस्करण में हुए नुकसान को कम करने** में मदद करेगा।
 - बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण के लिये सरकार ने **सूक्ष्म-संचाई प्रौद्योगिकियों** का उपयोग करके खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिये एक योजना शुरू की है, जिसके लिये एक **समरूपति सूक्ष्म-संचाई कोष** स्थापित किया गया है।
 - भारत ने विभिन्न फसलों की 262 एबॉयोटाकि सदरेस-टॉलरेंट कसिमें विकसित की हैं।
 - कुपोषण और अल्प-पोषण जैसे मुद्दों के समाधान के लिये भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य-आधारित सुरक्षा तंत्र कार्यक्रम चला रहा है। इसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) शामिल है। इसके माध्यम से वर्ष 2020 में लगभग 80 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
 - 2023 को **'अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (International Year of Millets- IYM)'** के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता प्रदान की।

नष्टिकरः

- किसानों सहित व्यापक स्तर पर समाज की भलाई सुनिश्चित करते हुए अनाज की बढ़ती मांग, पर्यावरणीय चुनौतियों तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समाधान करने हेतु कृषि-खाद्य प्रणालियों में संशोधनीयता का समावेश करना अनिवार्य है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

परश्न. गन्ना उत्पादन के लिये एक व्यावहारिक उपागम का, जिसे 'धारणीय गन्ना उपकरण' के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है(2014)

1. कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है।
2. इसमें चयन (डरपि) सचिई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है।
3. इसमें रासायनिक/अकार्बनिक उर्वरकों का बलिकूल भी इस्तेमाल नहीं होता।
4. कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 1, 2 और 4
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. एकीकृत कृषि प्रणाली (आई.एफ.एस) किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है? (2019)

प्रश्न. अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? (2019)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/20-10-2023/print>

